Annexure - XLIX

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

पत्रांक : 900 / उ.सू.आ. / 2005 दिनांक : 22 / 02 / 2007

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सेवा में,

सचिव
सामान्य प्रशासन
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय– उत्तराखण्ड सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में स्टाफ तथा आयोग में शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रभाग खोले जाने के औचित्य विषयक।

महोदय,

उक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 459 / सू0 / XXXI(13)G / –2(12) / 2006 दिनांक 17 जनवरी, 2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय एवं शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग खोले जाने का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ निम्नवत प्रेषित है।

1. क्षेत्रीय कार्यालय–

उत्तरांचल सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा दिनांक 13 मार्च 2006 में कृत अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अद्यावधिक स्थिति यह है कि उत्तरांचल सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत 500 शिकायतें एवं 19 के अंतर्गत अपीलों की संख्या 300 है। स्पष्टतः बहुसंख्यक अपीलों एवं शिकायतों के विचाराधीन होने एवं उन पर दोनों पक्षों की सुनवायी करने में जो प्रक्रिया अपनायी जाती हैं उसमें वादी तथा प्रतिवादी को राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों से देहरादून आना पड़ता है। राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए श्रेयस्कर होगा कि कुमाऊँ क्षेत्र में अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर में एक–एक क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिये जायें जिससे सूचना आयुक्त के समक्ष प्रार्थी अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें और आवेदकों / शिकायतकर्ताओं / अपीलकर्ताओं को सुविधा हो सके।

2. दो क्षेत्रीय कार्यालय में वांछित स्टाफः

1.	उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त	—	2
2.	संयुक्त सचिव / उपसचिव	—	2
3.	निजी सचिव	—	2
4.	आाशुलिपिक	—	2
5.	सहायक लेखाकार	—	2
6.	चालक	—	4
7.	अनुसेवक	—	4

3. दो क्षेत्रीय कार्यालय में स्टाफ का ऑचित्य

1.	उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त	:	शिकायतों एवं अपीलों की सुनवायी का कार्य
2.	संयुक्त सचिव/उपसचिव	:	शिकायतों एवं अपीलों के निस्तारण विषयक समस्त अधिष्ठानिक कार्य।
3.	निजी सचिव	:	मा0 सूचना आयुक्त के साथ संबद्ध रहकर श्रुतिलेख एवं पत्रावलियों के प्रस्तुतिकरण का कार्य।
4.	आशुलिपिक	:	संयुक्त सचिव/उपसचिव के साथ संबद्ध रहकर श्रुतिलेख एवं फाइलों के प्रस्तुतिकरण का कार्य।
5.	सहायक लेखाकार	:	क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा संबन्धी कार्य एवं पत्रावलियों के अनुरक्षण का कार्य।
6.	चालक	:	वाहन चालन का कार्य।
7.	अनुसेवक	:	उपरोक्त अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 को छोड़कर समस्त पद सेवा अनुबंध के आधारा पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर ही लिए जायेंगे तथा उनके पद उत्तरदायित्वों कोआयेग द्वारा अलग से निश्चित किया जायेगा। सभी नियुक्तियां शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आयोग के स्तर पर ही पूर्ण की जायेंगी।

4. शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग विषयकः

आयोग के द्वारा आयोग के निगरानी तथा रिपोर्ट संबंधी उत्तरदायित्वों, उक्त उत्तरदायित्वों में शोध केन्द्रित गतिविधियों, अधिनियम के क्रियान्वयन से संबन्धित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणेत्तर गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन के कार्यों के लिए आयोग में प्रभाग को शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रभाग में सपांदित किये जाने वाले

कार्यों के लिए निम्नलिखित मानव संसाधन की आवश्यकता तथा उन पदों को सृजित किये जाने की आवश्यकता होगी।

1.	प्रमुख शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण	–	01
2.	वरिष्ठ शोध अधिकारी	–	01
3.	शोध अधिकारी	–	02
4.	पुस्ताकलयाध्यक्ष सह प्रलेखन अधिकारी	–	01

उपरोक्त समस्त पद सेवा अनुबंध के अंतर्गत संविदा पर ही लिए जायेंगे तथा उनके पद उत्तरदायित्वों को आयोग द्वारा अलग से निश्चित किया जायेगा। सभी नियुक्तियां शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आयोग के स्तर पर ही पूर्ण की जायेंगी। पदों की अर्हतायें भी अलग से निश्चित की जा रही हैं जो कि सामान्यतः अन्य विभागों/ आयोगों में वर्णित पदों के अनुरूप ही होंगी।

अनुरोध है कि शासन स्तर पर उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति आयोग को यथाशीघ्र प्रदान करते हुए दो क्षेत्रीय कार्यालय एवं शोध तथा प्रशिक्षण प्रभाग की स्वीकृति विषयक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक प्रकार का कार्य के लिए एक ही पद रखा गया है जो स्वंय में कार्य को देखते हुए औचित्यपूर्ण है।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव

प्रतिलिपि–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव